तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ जिला अजमेर (राज)** **सैशन प्रकरण संख्या–13/2019** **सी.आई.एस संख्या –13/2019** **सरकार बनाम गोविन्द वगैरह** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

17.10.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुल्जिमान गोविन्द व बंशी अनुपस्थित की हाजिरी माफी पेश हुई, जो जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई। मुलजिम कमलेश को जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ। गिरफतारी वारंट पर यह रिपोर्ट आई है कि मुलजिम दर्जशुदा पते पर नहीं मिला जो खाने कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। मुलजिम को पिछली कई पेशीयों से तलब किया जा रहा है। मुल्जिम पूर्व में इस प्रकरण में उपस्थित होता रहा है जिसे हस्तगत प्रकरण की सम्पूर्ण रूप से जानकारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं को इस प्रकरण में गिरफ्तारी से बचाने के लिए छिपाता फिर रहा है व अपनी मूल सकूनत से रूहपोश हो गया है। अतः ऐसी स्थिति मे **मुलजिम कमलेश पुत्र जगन्नाथ बलाई** को मफरूर घोषित किया जाता है। इसे जरिये स्थायी गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे। धारा–82–83 की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। हस्तगत प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। अतः गवाह संख्या 02, 04, 06 व 08 को जरिये जमानती वारंट 2000/– रूपये से तलब कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक **07.11.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर सैशन न्यायाधीश सं.1** **किशनगढ, जिला अजमेर**	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ जिला अजमेर (राज) सैशन प्रकरण संख्या–13/2019 सी.आई.एस संख्या –13/2019 सरकार बनाम गोविन्द वगैरह 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये